संदेश ही पुरुषार्थ

डॉ. एल. एम. सिंहवी[1]

मेरा अभिमत है कि श्री चरण सिंह द्वारा २३ मार्च, १९७६ को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत किया गया भाषण हमारे संसदीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व क्रांतिकारी भाषणों में से एक है। यदि हमारे संसदीय संस्थानों का एक समकालीन समयकोष होता, तो यह भाषण निस्संदेह भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक अनिवार्य स्मृति चिह्न होता।

उक्त ऐतिहासिक भाषण में श्री चरण सिंह ने एक दमित राष्ट्र की व्यथा को शब्दों में पिरोया और घेराबंदी में जी रहे भारतवासियों की पीड़ा एवं संताप को प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त किया। उन्होंने अदम्य साहस और परिपक्वता के साथ उद्गार व्यक्त किए; उन्होंने उचित आक्रोश के साथ परंतु द्वेष या कुटिलता से मुक्त होकर वाणी विमर्श किया। वे एक संत और योद्धा की भांति दृष्टि एवं वीरता के अद्भुत समन्वय के साथ बोले। उन्होंने किसी निश्चित दल या क्षणिक विवाद के किसी पक्ष के लिए नहीं, अपितु राजनीतिक व्यवस्था की मूलभूत संरचना, आम जनता की स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र एवं विधि-व्यवस्था के लिए उद्भावना की।

श्री चरण सिंह के वीरतापूर्ण भाषण की सच्ची प्रशंसा के लिए, हमें भारत के आधुनिक राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास के परिप्रेक्ष्य को पुनः समझना चाहिए और स्वयं को लोकतांत्रिक गौरव के साथ हमारे राष्ट्रीय संकल्प की याद दिलानी चाहिए।

१९४७ में स्वतंत्रता की प्राप्ति और १९५० में हमारे गणतंत्रात्मक संविधान की घोषणा के साथ, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और मानव की गरिमा की अवधारणाएं हमारे राष्ट्रीय पंथियन में प्रतिष्ठित हुईं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लंबी रात और स्वतंत्रता के हमारे उदय में, हमने स्वयं से वादा किया था कि मानव मन की गुलामी की कभी अनुमति नहीं देंगे। हमारे संविधान और स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों ने हमें एक राष्ट्र के रूप में सत्ता के मनमाने और अधिनायकवादी निरंकुशवाद के सभी रूपों के खिलाफ गहराई से प्रतिबद्ध किया था।

[1] डॉ. लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (१९३१-२००७) एक प्रख्यात विधिवेत्ता और प्रमुख संवैधानिक विशेषज्ञ, एक राजनयिक, १९६२-१९६७ तक लोकसभा के सांसद और १९९८-२००४ तक राज्यसभा के सदस्य थे। सार्वजनिक कानून और सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए उन्हें १९९८ में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। श्री सिंघवी का यह लेख परंतप, देशभक्त मोर्चा, पृ. ३८३-३८६ में प्रकाशित हुआ था। नई दिल्ली, १९७८।

१९७५-७६ की आपातकाल के दौरान, स्वतंत्रता बंधन में थी। स्वतंत्रता ने अपना संवैधानिक आधार खो दिया था। न्यायालयों की शक्ति, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रभाव और प्रेस, शिक्षाविदों, व्यवसायों और जनमत का प्रभाव अचानक ग्रहण लगा। मार्च १९७६ में आपातकाल ने, कम से कम प्रतीत होता है और कुछ समय के लिए सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, विधायी और प्रशासनिक स्तरों पर खुद को समेकित करने में सफलता प्राप्त की थी। विधानमंडल और न्यायालयों के आकाश पर सबसे काले बादल छाए हुए थे। श्री चरण सिंह का २३ मार्च, १९७६ का भाषण एक वास्तविक गरज और बिजली के रूप में आया, जो उन बादलों को भेद रहा था और कुछ हद तक बिखेर रहा था। श्री चरण सिंह के उक्त भाषण की विशिष्टता उस समय के प्रतिकूल परिस्थितियों में निहित है। राष्ट्र उस समय दमनकारी शासन के घोर अंधकार में डूबा था। जनता की आवाज़ दमित थी, प्रेस की स्वतंत्रता कुण्ठित, और लोकतांत्रिक संस्थाएं क्षीण हो रही थीं। सत्ता के गलियारों में चापलूसी का बोलबाला था, जबकि विवेकशील आलोचना दमित थी। नागरिक समाज, उद्योग जगत, कृषि क्षेत्र, सभी दबाव में थे। राजनीतिक नेतृत्व भी संकटग्रस्त था।

ऐसे विषम परिदृश्य में श्री चरण सिंह का भाषण एक अलौकिक प्रकाशपुंज के समान था। उन्होंने विधानसभा के मंच का उपयोग कर, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त वाक स्वतंत्रता का अदम्य साहस के साथ प्रयोग किया। उनके द्वारा उद्घोषित सत्य आज भी सर्वकालिक प्रासंगिकता रखते हैं। यह भाषण भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमें सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध सतर्क रहने की सीख देता है।

श्री चरण सिंह ने अपने भाषण की शुरुआत सौम्य परामर्शदाता के रूप में की। उन्होंने कहा :

> "सभापति महोदय, आज सदन में जो चर्चा हो रही है वह ऐतिहासिक महत्व की है। हम सामने आई समस्याओं पर पूर्ण न्याय कर पाएँ या न कर पाएँ, परंतु इस बात में दो राय नहीं हो सकतीं कि हमारा देश और उसका भविष्य एक असाधारण और अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। प्रारंभ में मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ जो कोषाध्यक्षीय पीठिका पर विराजमान हैं कि मैं उनसे ईमानदारी और स्पष्टता से बात करूँगा और यदि कभी भावनाओं में बहकर मेरे मुख से कठोर शब्द निकल जाएँ तो मैं उनसे क्षमा और सहिष्णुता की अपेक्षा करता हूँ।"

स्पष्टतः, श्री चरण सिंह सदस्यों के साथ एक गहन संवाद के इच्छुक थे। उनका उद्देश्य वाद-विवाद में विजय प्राप्त करना नहीं था, अपितु भावनात्मक गंभीरता के साथ अपनी बात रखना था। यह स्पष्ट है कि उनका ध्यान केवल विधानसभा सदस्यों तक सीमित नहीं था, अपितु दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व और समस्त भारत के जनमानस तक विस्तृत था। उनका प्रयास तर्क और विवेक की अपील करना था। यद्यपि श्री चरण सिंह के भाषण का राजनीतिक प्रक्रियाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव का यथार्थ मूल्यांकन कठिन है, तथापि यह निश्चित है कि विधानसभा सदस्य अत्यंत प्रभावित हुए। इस भाषण ने न केवल विधायकों, राजनेताओं, अधिवक्ताओं और जनता के अन्य सचेत वर्गों में व्यापक चर्चा उत्पन्न की अपितु देश में स्वतंत्रता की भावना की निरंतरता के प्रति आशावाद को भी पुनर्जीवित किया।

श्री चरण सिंह का भाषण हमारे संसदीय इतिहास में न केवल इसलिए स्मरणीय होगा क्योंकि इसमें तत्कालीन सरकार की सटीक और सुसंगत राजनीतिक आलोचना है, और न ही केवल इसलिए कि यह आपातकाल के दौरान किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा दिया गया सबसे लंबा और सर्वांगीण संसदीय भाषण था, अपितु इसलिए कि यह संघर्षरत स्वतंत्रता के पथ पर विश्वास का एक मील का पत्थर था। उन्होंने अपने तथ्यों को सावधानीपूर्वक प्रस्तुत किया था। उन तथ्यों में स्वयं एक अपरिहार्य तर्क था। उनके तर्क और सदन के विवेक एवं अंतःकरण की उनकी अपील स्वयं तथ्यात्मक परिदृश्य का एक अभिन्न अंग थे। तथ्य पूर्णतः ज्ञात नहीं थे। केवल कानाफूसी, अफवाहें और एकपक्षीय रिपोर्टें ही थीं। श्री चरण सिंह के भाषण ने उन कठोर तथ्यों की पुष्टि और प्रमाणिकता की और विधायकों, विशेषकर सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से अपने अंतःकरण की खोज करने का आग्रह किया।

श्री चरण सिंह ने सदन को मनमाने और अंधाधुंध गिरफ्तारी एवं निरोधों, व्यापक आतंक और अमानवीय यातनाओं के बारे में बताया। उन्होंने सदन को बताया कि आपातकाल का दुरुपयोग किया जा रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असंतोष को क्रूरतापूर्वक दबाया जा रहा है। उन्होंने सदन को भारत के स्वतंत्रता संग्राम की विरासत की याद दिलाई और बताया कि उससे कैसे विमुख हो गया है। उनके पास जाँच आयोगों की शक्तियाँ, तंत्र और साधन नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने भाषण में जिन विषयों और तथ्यों के बारे में कहा उससे उनके भाषण को एक अर्थ में 'राष्ट्र का महान अन्वेषण' कहा जा सकता है।

श्री चरण सिंह ने सदन को एक प्रकार की 'भारत दर्शन' यात्रा पर ले गए और प्रत्येक विराम पर उन्होंने एक मूलभूत प्रश्न पूछा। भाषण तथ्यात्मक सामग्री से भरपूर था, और उन्होंने तथ्यों को स्वयं बोलने दिया। उन्होंने संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था के विघटन, मौलिक और सामान्य कानूनी अधिकारों के निलंबन, निराधार और क्रूर कानूनों तथा प्रशासन और पुलिस की ज्यादतियों की बात की। उन्होंने अविश्वसनीय उदाहरणों और यातना की तकनीकों के भयावह विवरण विस्तार से सुनाए। उन्होंने न्यायाधीशों के प्रेरित सुपरसीजन और स्थानांतरण तथा कुछ ऐसे निर्णयों के बारे में भी बताया जिनमें अभी भी आशा की एक किरण थी। उन्होंने संवैधानिक संशोधनों और अधिकार के दुरुपयोग की जाँच और रोकथाम के लिए संसदीय संस्थानों की अप्रभावीता की बात की। उन्होंने सार्वजनिक जीवन और सार्वजनिक नैतिकता के पतन का उल्लेख किया। उन्होंने तत्कालीन शासकों को चुनौती दी और उन्हें आम चुनाव कराने की धमकी दी, साथ ही यह स्पष्ट और निश्चित भविष्यवाणी की कि सत्तारूढ़ दल को चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा।

अपने भाषण के दौरान, श्री चरण सिंह ने एक नाजुक बिंदु को छुआ। उन्होंने कहा कि उन पर और उनके कई सहयोगियों पर लगाया गया यह आरोप कि वे हिंसा करने जा रहे हैं, निराधार है और एक प्रकार का छलावा है। उन्होंने कहा कि उनके लिए हिंसा की वकालत करना संभव नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने सदन को याद दिलाया

कि महात्मा गांधी ने गुलामी से अधिक हिंसा को प्राथमिकता दी थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट और खुलकर कहा, हालांकि उस समय व्याप्त राजनीतिक निराशा के दबाव में, कि छह सौ मिलियन लोग लंबे समय तक गुलामी में नहीं रहेंगे और यदि सामान्य स्थिति बहाल नहीं हुई तो एक विस्फोट होगा और देश आग में जल उठेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गांधीजी ने कायरतावश नहीं बल्कि आदर्श के रूप में अहिंसा को चुना था, और गांधीजी के उस कथन को दोहराया कि यदि अहिंसा विफल हो गई तो वे लोगों से स्वराज प्राप्त करने के लिए भौतिक बल का उपयोग करने के लिए कहेंगे। उन्होंने कहा कि हिंसा केवल हिंसा को ही जन्म दे सकती है और राज्य और राजनीतिक तंत्र द्वारा व्यापक हिंसा की चरम स्थितियों में लोगों के पास उसी सिक्के का जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बच सकता है। श्री चरण सिंह के इस कथन के उस भाग से उस समय व्याप्त निराशा की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है।

श्री चरण सिंह ने आपातकाल की निरंतरता के विरुद्ध दलीलों का एक प्रभावशाली ढांचा खड़ा किया। उतनी ही प्रभावी ढंग से उन्होंने स्वतंत्रता दमन के औचित्य के भवन को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के १९३६ में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में दिए गए भाषण के मार्मिक अंशों का प्रभावी ढंग से उद्धरण किया। श्री चरण सिंह द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण से उद्धृत पहला अंश था:

> ”साथियों, मनोविज्ञान में रुचि होने के कारण, मैंने नैतिक और बौद्धिक पतन की प्रक्रिया देखी है और पहले से कहीं अधिक महसूस किया है कि कैसे निरंकुश सत्ता भ्रष्ट करती है, अपमानित करती है और नीचा दिखाती है।”

श्री चरण सिंह द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण से उद्धृत दूसरा अंश था:

> ”एक सरकार जिसे आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और इसी तरह के कानूनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो प्रेस और साहित्य को दबाती है, जो सैकड़ों संगठनों पर प्रतिबंध लगाती है, जो लोगों को बिना मुकदमे के जेलों में रखती है... एक ऐसी सरकार है जिसके अस्तित्व के औचित्य की छाया तक नहीं बची है।”

अपने विस्तृत भाषण के अंत में, श्री चरण सिंह ने राष्ट्र की दुर्दशा की तुलना महाभारत के दुर्योधन के दुःखद चरित्र से की। उन्होंने कहा कि दुर्योधन सही और गलत के बारे में जानता था, लेकिन वह अपने अहंकार के कारण सही करने में असमर्थ था। इसी प्रकार, उन्होंने राष्ट्र की दुर्दशा का श्रेय राजनीतिक वर्ग के सामूहिक स्वार्थ को दिया।

श्री चरण सिंह ने अपने सहयोगियों से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उनका भाषण अंतःकरण की पुकार था, लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण के विरुद्ध एक स्पष्ट आह्वान था। यद्यपि वर्तमान परिस्थितियों के प्रति निराशा की भावना उनके भीतर थी, लेकिन यह राष्ट्र के आदर्शों के प्रति उनकी अटल प्रतिबद्धता का भी प्रमाण था।

उनका भाषण शासन की ज्यादतियों का एक विस्तृत दस्तावेज था, लोकतांत्रिक पतन का एक विधिसम्मत विश्लेषण था, और संभावित परिणामों की एक भविष्यवाणी थी। यह अवज्ञा का एक साहसी कार्य था, अंधकार के समय में आशा की एक ज्योति थी। श्री चरण सिंह की विरासत केवल उनके शब्दों में ही नहीं, बल्कि उनके अटल साहस और राष्ट्र के प्रति उनके गहन प्रेम में निहित है। उनका भाषण लोकतंत्र की नाजुकता और उसकी रक्षा के लिए आवश्यक सतर्कता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है।

उनके भाषण में राष्ट्र की दुर्दशा के प्रति दुःख और उदासी की झलक भी थी, लेकिन साथ ही झुकने या हार मानने से इंकार करने का भी संकल्प था। वे जीवन भर लड़ने को तैयार थे और फिर अपनी विरासत उन लोगों को सौंपने के लिए तैयार थे जिनमें उनका असीम विश्वास था। निराशा और समर्पण के उस क्षण में, श्री चरण सिंह बायरन के साथ गा सकते थे जिन्होंने कहा था:

"स्वतंत्रता की लड़ाई एक बार शुरू हो जाने पर,
रक्त से लथपथ पिता से पुत्र को विरासत में मिली,
हालांकि अक्सर विफल रहती है, हमेशा जीती जाती है।"

श्री चरण सिंह और उनके स्मरणीय भाषण के बारे में यह उचित रूप से कहा जा सकता है कि व्यक्ति के विचार और संदेश ही व्यक्ति की वास्तिविक पहचान है, क्योंकि वह भाषण श्री चरण सिंह का जीवनी संबंधी घटनाओं की सूची या विभिन्न अवसरों पर उनके द्वारा कही या लिखी गई बातों के संकलन या उनकी शारीरिक समानता के चित्रण से बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। उस भाषण में वह सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति पाया जाता है जो भारत की भूमि के कुछ उल्लेखनीय गुणों का प्रतीक है। वे धरती के हैं, सादगीपूर्ण हैं। उनकी सामान्य समझ में एक विशिष्ट दृढ़ता है। उनमें साहस और शक्ति है। वे अत्यंत सीधे-सादे हैं, और साथ ही जिद्दी और अडिग भी हैं। उनमें एक कठोर बाहरी आवरण के साथ-साथ एक आंतरिक कोमलता और प्राकृतिक उदारता भी है। इन सब से ऊपर, उनका देशभक्ति में एक आध्यात्मिक गुण है। २३ मार्च, १९७६ का उनका भाषण उन्हें उनके सर्वश्रेष्ठ रूप में दर्शाता है। यदि सफलता और उच्च पद मानदंड नहीं होने चाहिए, तो वह भाषण श्री चरण सिंह के प्रतिष्ठित सार्वजनिक जीवन का सबसे चमकदार शिखर था।